

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 43 OF 2025

IN THE MATTER OF:

DUSHYANT ROHTA

...Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...Respondent

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Reply on behalf of respondent no. 5 – Meerut Development Authority to the application filed by the Applicant along with the affidavit in support	1-8
2.	ANNEXURE – R5/1 A true copy of the sanctioned revised map no. 07/15	9-15
3.	ANNEXURE – R5/2 A true copy of the no-objection letter dated 20.04.2023 issued by the District Magistrate, Meerut	16
3.	Vakalatnama	17

NEW DELHI

DATE: 07.05,2025

THROUGH



(RACHIT MITTAL)

Advocate for Respondent No. 5
MZ-24 & 25, Ansal Fortune Arcade,
Sector 18, Noida- 201301

Uttar Pradesh

Mob.: +91 9873997047

Email: rachit@rmlawchambers.in

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 43 OF 2025

IN THE MATTER OF:

DUSHYANT ROHTA

...Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...Respondent

REPLY ON BEHALF OF RESPONDENT NO.5 – MEERUT
DEVELOPMENT AUTHORITY TO THE APPLICATION FILED
BY APPLICANT

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

PRELIMINARY SUBMISSIONS:

1. That the captioned Original Application has been filed by the Applicant alleging the encroachment on the land of the water body, and that Krishna World Colony at Meerut is being constructed unauthorisedly on a public water drain at Gata No. 346 area measuring 0.1260 hectares, Village-Murlipur Gulab, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh, and irrigation canal gata no. 47, 48, and 49, Village-Shobhapur, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh. The Applicant sought the following reliefs:

"a. Pass an order, directing the competent authorities to demolish the unauthorised construction over the land of water bodies

AND

b. Pass the order to stop raising the further unauthorised construction on the land of water bodies

AND

c. Pass an order imposing penalty upon the competent authorities who are deliberately allowing the raising of the said authorised construction. OR

d. Pass any other order or further orders, which this Honourable Tribunal may deem fit and proper in the interest to save the environment."

Singh.

जोन्स एडिटर

2. That the captioned application was listed on 31.01.2025 before this Hon'ble Tribunal, and this Hon'ble Tribunal passed the following orders:

“ORDER

“...

3. Issue notice to the respondents for filing the response by way of affidavit within six weeks.

4. Applicant is directed to serve the respondents and file an affidavit of service at least one week before the next date of hearing.

5. List on 09.05.2025.”

3. That the present Reply is being filed by Respondent No. 5, i.e., Meerut Development Authority (hereinafter referred to as *“answering respondent”*) in compliance with the aforementioned order passed by this Hon'ble tribunal.
4. That at the outset, the answering Respondent denies each and every averment contained in the captioned application, except those which are admitted herein expressly.
5. That the captioned Application filed by the Applicant is replete with factual perversity and contains incorrect and misconceived submissions. It is submitted that the Applicant had pleaded incongruent averments and has based the Application on false surmise and vague conjectures. The Applicant has misleading and contradictory averments in his application and has blatantly suppressed material facts with an intent to mislead this Hon'ble Tribunal, and hence, the captioned Application is liable to be dismissed.
6. It is to bring to the knowledge of this Hon'ble Tribunal that the answering Respondent on 09.03.2017, sanctioned the map of




layout plan on Khasra No. 126 PART, 335 PART, 336, 337 PART, 341 PART, 342, 343, 344, 345, 347 PART, 348 PART of Vill. Murlipur Gulab and Khasra No. 46 PART of Vill. Shobhapur, Meerut and granted the approval to the applicant i.e., M/s RS Developers, partners Shri Suraj Yadav and Shri Rajiv Agarwal, and M/s Prasadi Biotech Park Pvt. Ltd. and M/s Prasadi Builders Pvt. Ltd. as per rules on the basis of no objections received from the concerned departments such as District Magistrate, Meerut and Municipal Cooperation, Meerut for the revised layout map number 07/15 of Krishna World Colony on Khasra number 159 PART, 161 PART of revenue village LakhwayaRasulpur, District Meerut and Khasra number 293 part of village Muralipur Gulab. A true copy of the sanctioned revised map no. 07/15 is annexed herewith and marked as **ANNEXURE- R5/1**.

7. It is pertinent to mention here that the answering Respondent only gave approval and sanctioned the layout plan, exempting the Khasra No. 346 village Murlipur Gulab, and Khasra Nos. 47, 48, and 49 village Shobhapur, Meerut as they are government vacant sites having drainage and a canal on the site.
8. Thus, it is crystal clear in the aforesaid sanctioned map, the land of Khasra No. 346 village Murlipur Gulab and Khasra Nos. 47, 48, and 49 village Shobhapur Meerut, as mentioned in the captioned application, in the said approved map, are not included and left as vacant government land, and at present, the land of Khasra No. 346 village Murlipur Gulab and Khasra Nos. 47, 48, and 49 village



Shobhapur Meerut, are in jurisdiction of theirrigation department, i.e., Respondent No. 2.

9. Further, it is to bring to the knowledge to this Hon'ble Court that before sanctioning the aforesaid map in favour of the builders, the answering Respondent has sought no objection from several departments, and in pursuant to the request of the answering Respondent, the District Magistrate, Meerut vide letter dated 20.04.2023 granted his no objection regarding the sanctioning the aforesaid map. It is pertinent to mention here that in said no objection the office of District Magistrate apprised the answering Respondent that the applicant/builder has submitted the affidavit to the effect that they will keep the land at Khasra No. 346 area measuring 0.1260 hectares, Village-Murlipur Gulab, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh, and irrigation canal gata no. 47, 48, and 49, Village-Shobhapur, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh vacant in the future and will never be utilized the same for personal use as the said land is a vacant site being a government property. A true copy of the no-objection letter dated 20.04.2023 issued by the District Magistrate, Meerut, is annexed herewith and marked as ANNEXURE – R5/2
10. It is most humbly submitted that the answering Respondent never gave any approval or sanctioned any layout plan to the builders regarding constructing anything upon the Khasra No. 346 area measuring 0.1260 hectares, Village-Murlipur Gulab, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh, and irrigation canal gata no. 47, 48,



and 49, Village-Shobhapur, Tehsil and District Meerut, Uttar Pradesh, as they are vacant sites and they are government land. Moreover, the answering Respondent is not liable to maintain and make them free from any illegal encroachment, whereas it is the duty of the Respondent No. 2, as same falls within the jurisdiction of the irrigation department, i.e., Respondent No. 2.

11. It is to bring to the knowledge of this Hon'ble Tribunal that the Applicant is not liable for any relief whatsoever against the answering Respondent, as the answering Respondent is not liable for the alleged encroachment as per the present application.

PARAWISE REPLY:

1. The content of para 1 does not pertain to answering the Respondent, thus no reply is needed.
2. The content of para 2 is a matter of record, thus needs no reply.
3. The content of para 3 does not pertain to the answering Respondent, thus no reply is needed.
4. The content of para 4 is a matter of record, thus needs no reply.
5. The content of para 5 does not pertain to the answering Respondent, thus no reply needed.
6. The content of para 6 is a matter of record, thus needs no reply.
7. The content of para 7 does not pertain to the answering Respondent, thus no reply needed.
8. The content of para 8 does not pertain to the answering Respondent, thus no reply needed.

Dingh.
2024 अक्टूबर 10


9. The content of para 9 does not pertain to the answering Respondent, thus no reply needed.
10. The content of para 10 is a matter of record, thus needs no reply.
11. The content of para 11 does not pertain to the answering Respondent, thus no reply needed.
12. The content of para 12 & 13 does not pertain to the answering Respondent, thus no reply is needed.
13. In view of the aforesaid circumstances, the present Application was liable to be dismissed as no cause of action arises qua the answering Respondent.

It is submitted that the answering Respondent has always been vigilant in exercising its duties and fulfilling its responsibilities with due care and consciousness at all times, and also has been complying with the orders/directions passed by this Hon'ble Tribunal from time to time.

NEW DELHI

DATE: 07.05.2025

THROUGH


जोबल अधिकारी
केरल विकास प्राधिकरण
RESPONDENT NO. 05



RACHIT MITTAL

Advocate for Respondent No. 5

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 43 OF 2025

IN THE MATTER OF:

DUSHYANT ROHTA

...Applicant

Versus

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...Respondent

AFFIDAVIT

I, Niketa Singh D/o Shri M.M. Singh, aged about 29 years, working as Zonal Officer in Meerut Development Authority, Eastern Kuchari Road, Civil Lines, Vikas Bhawan, Meerut, Uttar Pradesh – 250001, do hereby solemnly affirm and declare as under: -

1. That I, in the aforesaid capacity, am well conversant with the facts and circumstances of the case and the information derived from the official record. Hence, I am competent to swear this affidavit.



2. I have read and understood the contents of the accompanying Reply. I state that the facts stated therein are true to my knowledge derived from the official record and the legal submissions are based on legal advice received and believed to be true.

That Annexures annexed with the accompanying reply are true copies of their respective originals.

Singh.

DEPONENT


जोनल अफिसर
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ




VERIFICATION: -

The contents of the above paragraphs 1 to 3 are true and correct as per the official records. Nothing is wrong therein, and nothing material has been concealed therefrom.

Verified at Meerut today on this 07th day of May, 2025

**DEPONENT**

जोनल अधिकारी
मेरठ विकास प्राधिकरण

**ATTESTED**
NOTARY

07-5-25

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), मेरठ।

संख्या: 156 /एसटी ई/2022-23

दिनांक 20-04-2023

विषय: ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना तहसील व जिला मेरठ तथा ग्राम शोभापुर पर आपत्ति/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

जोनल अधिकारी, जोन-ए/बी
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अपने पत्र संख्या: 372/प्रवर्तन खण्ड जोन-बी/23 दिनांक 25-3-2023 का संदर्भ संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत आवेदक मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव व श्री राजीव अग्रवाल तथा मैसर्स प्रसन्दी बायोटेक पार्क प्रा0लि0 तथा मैसर्स प्रसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0 द्वारा ग्राम मुरलीपुर गुलाब परगना व तहसील व जिला मेरठ तथा ग्राम शोभापुर मेरठ में कुल रकबा 36436.76 वर्ग मीटर में तलपट मानचित्र के संबंध में प्रस्तुत मानचित्र में ग्राम समाज, सरकारी भूमि/सीलिंग भूमि होने अथवा न होने के संबंध में आपत्ति/अनापत्ति से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस संबंध में उप जिलाधिकारी मेरठ से आख्या प्राप्त की गयी। उप जिलाधिकारी मेरठ द्वारा प्रस्तुत आख्या संख्या 297/एसटी दिनांक 14-4-2023 जिसके द्वारा अवगत कराया है कि ग्राम शोभापुर के खसरा संख्या 46 रकबा 0.228 है0, 891/1 रकबा 0.1260 है0, 891/3 रकबा 0.063 है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव, निवास ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ व पार्टनर श्री राजीव अग्रवाल पुत्र हरीशचन्द गुप्ता, निवासी 214 मधुवन कालोनी मेरठ का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है तथा ग्राम मुरलीपुर गुलाब तहसील व जिला मेरठ के खसरा संख्या-126 रकबा 0.9290 है0 में से 0.4645 है0, 335 रकबा 0.2530 है0, 344 रकबा 0.3980 है0, 341 रकबा 0.3730 है0, 343 रकबा 0.2780 है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव व पार्टनर श्री राजीव अग्रवाल पुत्र हरीश चन्द गुप्ता का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है। खसरा संख्या-345 रकबा 0.2150 है0 में से 0.0941 है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफेन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव व पार्टनर श्री राजीव अग्रवाल पुत्र हरीश चन्द गुप्ता का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है व रकबा 0.0267 है0 पर परसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय कृष्णा प्लाजा गढ़ रोड मेरठ द्वारा डायरेक्टर श्री विजयपाल यादव पुत्र आर0सी0 यादव का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है। ग्राम मुरलीपुर गुलाब के खसरा संख्या-126 रकबा 0.9290 है0 में से 0.4645 है0 तथा खसरा संख्या-336 रकबा 0.6830 है0, 337 रकबा 0.3980 है0, 342 रकबा 0.1140 है0, 347 रकबा 0.3840 है0, 348 रकबा 0.6290 है0 पर मैसर्स परसन्दी बायोटेक पार्क प्रा0लि0 द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजयपाल यादव पुत्र आर0सी0 यादव का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है। उक्त दोनों संस्थाओं में वर्तमान में श्री विजयपाल यादव के स्थान पर श्री सूरज यादव व राजीव अग्रवाल डायरेक्टर है जिसका साक्ष्य संलग्न है। खसरा संख्या 342 रकबा 0.114 है0 ग्राम मुरलीपुर गुलाब सी0एच0-41 45 में बंजर दर्ज है जिसका आवंटन कुतबी पुत्र मखमूल ग्रामवासी को कृषि आवंटन स्वीकृति दिनांक 21-5-1976 के अन्तर्गत हुआ था जिसकी सत्यापित नकल खतौनी संलग्न है।, उपरोक्तानुसार उक्त खसरा नम्बर में आवेदकों के कुल क्षेत्रफल 4.9768 है0 में से 36436.76 है0 पर आवेदकों द्वारा योजना से आच्छादित क्षेत्रफल एवं शेष क्षेत्रफल ग्रीन वर्ज पहुंच मार्ग व अन्य योजना हेतु प्रस्तावित है। ग्राम मुरलीपुर गुलाब में प्रस्तावित उक्त भूमि के मध्य खसरा संख्या-127 रकबा 0.1390 है0 (आंशिक) व खसरा संख्या-346 रकबा 0.1260 है0 "नाला" राजकीय सम्पत्ति में आ रहे है, जो स्थल पर रिक्त है और आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि भविष्य में भी रिक्त रखेंगे और कभी व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लायेंगे। प्रश्नगत भूमि उ0प्र0 राजमार्ग/प्राधिकरण हेतु अधिग्रहित नहीं है और न ही भूमि नगर निगम/मेरठ विकास प्राधिकरण/आवास विकास से आच्छादित है। प्रश्नगत भूमि उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-80 अथवा 116/117 की कोई

TRUE COPY

सीलिंग भूमि अथवा निष्कान्त सम्पत्ति तथा शमशान/कब्रिस्तान तथा नाली/चकरोड/रजवाहा इत्यादि धारा-132 की भूमि नहीं है। ग्राम शोभापुर के खसरा नं० 891 चार भागों में बटा है। चारों भागों पर आवेदकगण के नाम खतौनी में दर्ज है। ग्राम मुरलीपुर गुलाब के वांछित खसरा नम्बर खतौनी में एकल दर्ज है। इस प्रकार ग्राम शोभापुर एवं ग्राम मुरलीपुर गुलाब के उक्त खसरा नम्बर में आवेदकों के कुल क्षेत्रफल 4.9768है० में से 36436.76है० पर आवेदकों द्वारा योजना से आच्छादित क्षेत्रफल एवं शेष क्षेत्रफल ग्रीन वर्ज पहुंच मार्ग व अन्य योजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की गयी है।

अतः उप जिलाधिकारी मेरठ की उक्त आख्या दिनांक 14-04-2023 के आधार पर यदि फर्म द्वारा "नाला" राजकीय सम्पत्ति पर कोई अतिक्रमण अथवा छेडछाड की जाती है तो यह अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। उप जिलाधिकारी मेरठ की आख्या की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(अमित कुमार)
अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)
मेरठ।


TRUE COPY

मानचित्र आवेदन पत्र पर बिन्दुवार आख्या

महोदय,

संलग्न पत्र सं० एम०डी०ए० पत्रांक 372/प्रवर्तन खण्ड जोन-बी/23 दिनांक 25.03.2023 ग्राम शोभापुर स्थित खसरा सं० 46, 891/1, 891/3 व ग्राम मुरलीपुर गुलाब के ख०नं० 126, 335, 344, 341, 343, 345, 336, 337, 342, 347, 348, में प्रार्थी मैसर्स आर०एस० डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव व श्री राजीव अग्रवाल तथा मैसर्स प्रसन्दी बायोटेक पार्क प्रा०लि० तथा मैसर्स प्रसन्दी बिल्डर्स प्रा०लि० द्वारा प्रस्तुत तलपट मानचित्र पर अनापत्ति/आपत्ति प्रमाण पत्र हेतु निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में जाँच आख्या उपलब्ध कराये जाने के आशय से प्राप्त हुआ है।

आदेशानुपालन में जाँच आख्या निम्न प्रकार है।

1	प्रस्तावित आवेदक का नाम/पिता का नाम/निवास स्थान	मैसर्स आर०एस० डवलपर्स द्वारा पार्टनर श्री सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव नि० ए-31 डिफेंस कालोनी मेरठ व पार्टनर श्री राजीव अग्रवाल पुत्र हरीशचन्द्र गुप्ता निवासी 214 मधुवन कालोनी मेरठ व मैसर्स प्रसन्दी बायोटेक पार्क प्रा०लि० तथा मैसर्स प्रसन्दी बिल्डर्स प्रा०लि०		
2	आवेदक का स्थाई निवास	उपरोक्तानुसार		
3	वर्णित खसरा नम्बर की वर्तमान खतौनी	खतौनी में अंकित कुल खसरा संख्या	खतौनी में अंकित कुल खसरा संख्या का रकबा	कुल रकबे के सापेक्ष कितने रकबे पर अनापत्ति चाही गयी है।
	संलग्न है।	शोभापुर ख०नं० 46 891/1 891/3 मुरलीपुर गुलाब 126 335 344 341 343 345 336 337 342 347 348 कुल किता-14	0.228है० मे से 0.0151है० 0.126है० 0.063है० मे से 0.0378है० 0.929है० मे से 0.7500है० 0.253है० मे से 0.1050है० 0.398है० 0.373है० मे से 0.2907है० 0.278है० 0.215है० मे से 0.1208है० 0.683है० 0.398है० मे से 0.2553है० 0.1140है० 0.384है० मे से 0.2890है० 0.6290है० मे से 0.180976है० कुल रकबा-5.071है० में से आवेदको का हिस्सा 4.9768है०	36436.76वर्ग मीटर पर अनापत्ति चाही गयी है।
4	राजस्व अभिलेख/खतौनी में भूमि का स्वामित्व वर्तमान खतौनी से 1359 फसली की खतौनी तक अभिलेखों की सत्यप्रतिलिपि/यदि चकबन्दी नहीं हुई, तो बन्दोबस्त वाह साहब की सत्यप्रतिलिपि (हिन्दी अनुवाद सहित) और अगर चकबन्दी हुई है, तो उसकी सी०एच०-41 व 45 सत्यप्रतिलिपि सहित आख्या प्रस्तुत की जाये।	सी०एच०-41 में कौन-कौन से खसरा नम्बर हैं, का उल्लेख	सी०एच०-45 में वर्णित खसरा संख्या किसके नाम है, का उल्लेख	1359 फसली में वर्णित भूमि किसके नाम दर्ज थी तथा वर्णित भूमि आवेदक को कैसे प्राप्त हुई, का उल्लेख
		ग्राम शोभापुर में चकबन्दी प्रक्रिया न होने के कारण सी०एच०-41 नहीं है।	ग्राम शोभापुर में चकबन्दी प्रक्रिया न होने के कारण सी०एच०-45	ग्राम शोभापुर के ख०नं० 46 रकबा 0-18-0 व 891/1 रकबा 0-10-0 अब्दुल

TRUE COPY



		<p>ग्राम मुरलीपुर गुलाब</p> <p>126 का पुराना नं० 405मि., 406, 407, 408, 409, 410</p> <p>335 पुराना नं० 331/1</p> <p>344 का पुराना नं० 402/2</p> <p>341 का पुराना नं० 401</p>	<p>नहीं है।</p> <p>साबिर अली पुत्र चॉद खां</p> <p>बुन्दू पुत्र मुलतान</p> <p>सदर खाँ, फजर खाँ पुत्रगण अल्लादिया</p>	<p>गनी पुत्र अहमदुल्ला व ख०नं० 891/3 रकबा 0-5-0 रफी, शफी पुत्रगण रमजानी का नाम दर्ज है तथा वाह साहब के बन्दोबस्त की सत्यप्रतिलिपि संलग्न है।</p> <p>ग्राम मुरलीपुर गुलाब</p> <p>ख०नं० 405 (0-2-0) ख०नं० 408 (1-3-0) व ख०नं० 409 (1-0-0) मान खां, इमाम खां पुत्रगण जहांगीर, जहूर अली, नूर अली पुत्रगण चॉद खां व 406 (1-0-0) आशाराम, राजाराम, सीताराम, लक्ष्मीचन्द पुत्रगण रामस्वरूप व ख०नं० 407 (0-5-0) उस्मान पुत्र नजीर मु० मुकीमन बेवा वली मौ० व मु० न्याजन बेटी वली मौ० व ख०नं० 410 (0-9-0) मुंशी पुत्र बलन्दा</p> <p>ख०नं० 331/1 (1-0-0) 402/2 (1-11-10) बुन्दू पुत्र मुलतान ख०नं० 401 (1-7-0) अल्लादिया, अशरफ़ पुत्रगण रहमली</p>
--	--	--	---	---

TRUE COPY

		343 का पुराना नं० 400	रहमत पुत्र मान खां जहूर अली, नूर अली, साबर अली पुत्रगण चौद खां, शाकर अली, जाकर अली पुत्रगण इमाम खां	ख०नं० 400 (1-2-0) मान खां, इमाम खां पुत्रगण जहांगीर, जहूर अली, नूर अली पुत्रगण चौद खां
		345 का पुराना नं० 403/2	मंशाराम पुत्र प्यारेलाल	ख०नं० 403/2 (0-17-0)
		336 का पुराना नं० 403/1		लक्ष्मीनाराण पुत्र रामस्वरूप व ख०नं० 403/1 (2-14-0) प्यारेलाल पुत्र किशोरीलाल
		337 का पुराना नं० 402/1	खचेडू ना०बा० उम्र 15 वर्ष बविलायत मकसूदन माता पुत्र दिलावर	ख०नं० 402/1 (1-11-10) दिलावर पुत्र हबीब
		342 का पुराना नं० 397	बंजर	ख०नं० 397 (0-9-0) बंजर
		347 का पुराना नं० 411, 412/2	शफी, रफी पुत्रगण रमजानी	ख०नं० 411 (1-6-13) शफी, रफी पुत्रगण रमजानी व ख०नं० 412/2 (0-3-0) जुगला पुत्र बहाल
		348 का पुराना नं० 412/1	मुनफैत अली खां, ईशा अल्लाह, जमशैद अली पुत्रगण इन्तियाज अली	ख०नं० 412/1 (1-3-0) जुगला पुत्र बहाल भूमि आवेदक को बैनामे द्वारा प्राप्त हुई।
5	उ०प्र० राजमार्ग प्राधिकरण हेतु प्रश्नगत भूमि अधिग्रहित तो नहीं की गयी है। (यदि हाँ तो उसका विवरण)	उ०प्र० राजमार्ग प्राधिकरण हेतु प्रश्नगत भूमि अधिग्रहित नहीं है।		
6	भूमि किसी नगर निगम/विकास प्राधिकरण/आवास विकास/नगर पंचायत अथवा किसी निकाय योजना से तो आच्छादित नहीं है।	भूमि किसी नगर निगम/विकास प्राधिकरण/ आवास विकास/नगर पंचायत अथवा किसी निकाय योजना से आच्छादित नहीं है।		
7	जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143/80 के अन्तर्गत अकृषिक घोषित होने का प्रमाण-पत्र/आदेश की प्रति एवं धारा	प्रश्नगत भूमि की संलग्न नकल खतौनी पर उ०प्र० रा०संहिता की धारा 80 अथवा 116/17 की कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं है। वांछित नजरी नक्शा आख्या के साथ		

TRUE COPY

	176/116 की रिपोर्ट की संस्थान 87 भूमि कहां अवस्थित हैं, चिन्हित किया जाये। नजरी नक्शे में दिशा सहित प्रश्नगत रकबे की स्थिति का चिन्हांकन।	संलग्न है।
8	प्रस्तावित भूमि शत्रु सम्पत्ति, नजूल भूमि, सीलिंग भूमि अथवा निष्क्रांत सम्पत्ति तथा शमशान/कब्रिस्तान तथा नाली/चकरोड/रजवाहा इत्यादि 132 की भूमि तो नहीं है।	प्रस्तावित भूमि शत्रु सम्पत्ति, नजूल भूमि, सीलिंग भूमि अथवा निष्क्रांत सम्पत्ति तथा शमशान/कब्रिस्तान तथा नाली/चकरोड/रजवाहा इत्यादि 132 की भूमि नहीं है।
9	अगर रकबा कई हिस्से में बटा है, तो यह सुनिश्चित किया जाये कि संस्थान की भूमि कहां अवस्थित है।	ग्राम शोभापुर के ख0नं0 891 चार भागों में बटा है चारों भागों पर आवेदकगण के नाम खतौनी में दर्ज हैं। संलग्न नजरी नक्शे पर भूमि का चिन्हांकन किया गया है एवं ग्राम मुरलीपुर गुलाब के वांछित ख0नं0 खतौनी में एकल दर्ज है।
10	जिस सम्पत्ति की बावत् आख्या प्रस्तुत की जा रही है, उसका स्थलीय फोटो राजस्व निरीक्षक/लेखपाल के साथ प्रस्तुत किया जाये।	प्रस्तावित स्थल का फोटोग्राफ आख्या के साथ संलग्न है।

महोदय,

अतः उपरोक्तानुसार ग्राम शोभापुर के ख0नं0 46 रकबा 0.228है0, 891/1 रकबा 0.1260है0, 891/3 रकबा 0.063है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफैन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव नि0 ए-31 डिफैन्स कालोनी मेरठ व पार्टनर राजीव अग्रवाल पुत्र हरीशचन्द गुप्ता नि0 214 मधुबन कालोनी मेरठ का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है व ग्राम मुरलीपुर गुलाब तहसील व जिला मेरठ के ख0नं0 126 रकबा 0.9290है0 में से 0.4645है0 व 335 रकबा 0.2530है0, 344 रकबा 0.3980है0, 341 रकबा 0.3730है0, 343 रकबा 0.2780है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफैन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव नि0 ए-31 डिफैन्स कालोनी मेरठ व पार्टनर राजीव अग्रवाल पुत्र हरीशचन्द गुप्ता नि0 214 मधुबन कालोनी मेरठ का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है व ख0नं0 345 रकबा 0.2150है0 में से 0.0941है0 पर मैसर्स आर0एस0 डवलपर्स ए-31 डिफैन्स कालोनी मेरठ द्वारा पार्टनर सूरज यादव पुत्र करतार सिंह यादव नि0 ए-31 डिफैन्स कालोनी मेरठ व पार्टनर राजीव अग्रवाल पुत्र हरीशचन्द गुप्ता नि0 214 मधुबन कालोनी मेरठ का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है व रकबा 0.0267है0 पर परसन्दी बिल्डर्स प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय कृष्णा प्लाजा गढ रोड मेरठ द्वारा डायरेक्टर पर विजयपाल यादव पुत्र आर0सी0 यादव नि0 145 बी0सी0 लाईन मेरठ कैन्ट का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है एवं ग्राम मुरलीपुर गुलाब के ख0नं0 126 रकबा 0.9290है0 में से 0.4645है0 तथा ख0नं0 336 रकबा 0.6830है0, 337 रकबा 0.3980है0, 342 रकबा 0.1140है0, 347 रकबा 0.3840है0, 348 रकबा 0.6290है0 पर मैसर्स परसन्दी बायोटेक पार्क प्रा0लि0 रजि0 कार्यालय कृष्णा प्लाजा गढ रोड मेरठ द्वारा मैनेजिंग डायरेक्टर विजयपाल यादव पुत्र आर0सी0 यादव नि0 145 बी0सी0 लाईन मेरठ कैन्ट का नाम संकमणीय भूमिधर बतौर बैनामा दर्ज है। उक्त दोनों संस्थाओं में वर्तमान में विजयपाल यादव के स्थान पर सूरज यादव व राजीव अग्रवाल डायरेक्टर हैं जिसका साक्ष्य संलग्न है एवं उक्त खसरा नम्बरों की खतौनियां, सी0एच-41, 45 व 1359फसली व वाहब साहब बन्दोबस्त का हिन्दी अनुवाद की सत्यापित प्रतियां भी साथ में संलग्न है। ख0नं0 342 रकबा 0.114है0 ग्राम मुरलीपुर गुलाब सी0एच0-41, 45 में बंजर दर्ज है जिसका आवंटन कुतबी पुत्र मखमूल ग्रामवासी को कृषि आवंटन स्वीकृति दिनांक 21.05.1976 के अन्तर्गत हुआ था जिसकी सत्यापित नकल खतौनी संलग्न है। अतः उपरोक्तानुसार उक्त खसरा नम्बर में आवेदकों के कुल क्षेत्रफल 4.9768है0 में से 36436.76है0 पर आवेदकों द्वारा योजना से आच्छादित क्षेत्रफल एवं शेष क्षेत्रफल ग्रीन वर्ज पहुंच मार्ग व अन्य योजना हेतु प्रस्तावित है। ग्राम मुरलीपुर गुलाब में प्रस्तावित उक्त भूमि के मध्य ख0नं0 127 रकबा 0.1390है0 (आंशिक) व ख0नं0 346 रकबा 0.1260है0 'नाला' राजकीय सम्पत्ति में आ रहे हैं, स्थल पर रिक्त है और आवेदक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि भविष्य में भी रिक्त रखेंगे और कभी व्यक्तिगत उपयोग में नहीं लायेंगे। आख्या संस्तुति सहित सादर सेवा में प्रेषित है।

10/11/23
लेखपाल
मुख्य लेखपाल
तहसील-मेरठ

15/11/23
राजस्व निरीक्षक
क्षेत्र -

15/11/23
ग्राम तहसील प्रभारी
क्षेत्र -

महोदय
ना. तहसील प्रभारी
की मान्य आख्या प्रेषित
तहसीलदार,
मेरठ।

TRUE COPY

297/57

ADM (E)


गदावध,

तहसील मन्डू

आयुजा संबंधित दस्तावेजों
की सजावट करते हुए,
मैस्टरस सहित सादर
प्रेषित।

(A)

ADM, (मन्डू तहसील)
14.09.2023


TRUE COPY



90



FORM No.19

VAKALAT NAMA

In the Court... NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH,
NEW DELHI
Sult/Mise/Case/Civil Appeal/Execution Case.

o A NO. 13 of 2025 Fixed 09.05.2025

DUSHYANT ROKHA Plaintiff/Appellant/Applicant/D.H.

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & CPS,
Defendent Respondent/Opp. Party/J.D.

Vakalat Name of Plaintiff/Appellant/D.H.
Defendent/Rerpondent/Opp Party/J.D.

In the case noted above Shri/Smt. Merrut Development
Authority
each of Sarvshri RACHIT MITTAL [D/1041/2011]

is hereby appointed as counsel, to appear plead, and on behalf of the under signed in any manner he think it proper , either himself of through and other Advocate and in particular to do the following namely to receive and process of court (Including and notice from any appellate or revisional court) to file applications petitions, or plening, produce or receive back and documents compromise the proceeding to refer any matter to arbitration, to deposite or withdraw any money to execute decree or to certify payment and/or receivee and money due under shch decree or order.

The undersigned shall be bound by all whatsoever may be done in the aforesaid case (Including any appeal or revision theret from) for and on behalf of the under signed by any to the counsel

Signature.....
Name and Address.....
Date.....
Attesting Witness.....
Name in full.....
Address.....
Date.....

Rachit Mittal
7/5/25

RACHIT MITTAL
Advocate, Supreme Court of India,
M2-25, Ansal Fortune Arcade
Sector-18, Noida-201301,
Uttar Pradesh

Signature..... 31/04
.....
.....
.....
.....

Accepted/ Accepted on the strenghth of the
Signature of the attesting witness

Email: rachit@rmlawchambers.in
Ph: 9873997047